

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

E/R No. - 203/2017

8/1

RBE No. /48/2017

No. E(P&A)II-2016/FE.2/5

New Delhi, dated: 16.10.2017

**The General Managers/CAOs,
All Zonal Railways & Production Units.**

Sub : Issue raised by NFIR in PNM/NFIR item No. 57/2016 regarding Payment of arrears arising out of leave salary consequent to the implementation of 6th CPC report for the period 01.01.2006 to 31.08.2008 on West Central Railway to the running staff.

Ref.: WCR's letter No. WCR/P.HQ/Ruling/0/815/Allow.Run. dated 21.12.2016 and 28.09.2016.

In PNM Item No. 57/2016 of National Federation of Indian Railwaymen, GS/NFIR had raised the issue of non-payment of arrears of leave salary to running staff of West Central Railway, consequent to the implementation of 6th CPC for the period 01.01.2006 to 31.08.2008.

2. The issue has been examined in Board's office and it is clarified that as per Rule 924(i) (k) of IREM-I and para 3.23 of Board's letter No. E(P&A)II-80/RS-10 dated 17.07.1981, 30% Pay element will be reckoned for calculation of Leave Salary of Running Staff for the period between 01.01.2006 to 31.08.2008 also consequent to implementation of the 6th CPC recommendations.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Railway Board.

md. Salim Ahmed

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director, Estt. (P&A)-II
Railway Board.

New Delhi, dated: 16.10.2017

No. E(P&A)II-2016/FE.2/5

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

[Signature]

For Financial Commissioner/Railways.

*Downloaded from
Bd's web-site
20/11/17
Ch. S. W. P.*

203/17
P/2

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आरबीई सं./48/2017

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5

नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय : छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि की छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान करने के बारे में एनएफआईआर द्वारा पीएनएम/एनएफआईआर की मद सं. 57/2016 में उठाया गया मामला।

संदर्भ : डब्ल्यूसीआर का दिनांक 21.12.2016 और 28.09.2016 का पत्र सं.
डब्ल्यूसीआर/पी.एचक्यू/रुलिंग/0/815/अलाऊ.रन.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के पीएनएम की मद सं. 57/2016 में जीएस/एनएफआईआर ने 01.01.2006 से 31.08.2008 की अवधि के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, पश्चिम मध्य रेलवे के रनिंग स्टाफ को छुट्टी के वेतन के बकाया का भुगतान न किए जाने का मामला उठाया था।

2. इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआरईएम-1 के नियम 924(आई) (के) और बोर्ड के दिनांक 17.07.1981 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II-80/आरएस-10 के पैरा 3.23 के अनुसार, 30% वेतन तत्व की गणना छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 01.01.2006 से 31.08.2008 तक की अवधि के लिए भी रनिंग स्टाफ की छुट्टी के वेतन के हिसाब से की जाएगी।

3. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक, ई. (पी एंड ए)-II
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)II-2016/एफई.2/5

नई दिल्ली, दिनांक: 16.10.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें